राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक /एफ ()/तक./उवसं/2023/6669 दिनांक 08/12/2023

निमित्त ,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन/सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए.
राजस्थान, जयपुर

विषयः— : Laying of Underground OFC along the road within the existing ROW from KMS – 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri – Tekan Road) District – Chittorgarh & Udaipur, (Raj.). (Online proposal number – **/RJ/OFC/45721/2020**)

संदर्भः— : आप कार्यालय का पत्रांक 6854—55 दिनांक 25.07.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा प्रस्ताव पर लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति यूजर एजेंसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.10.2023 (प्रति संलग्न) से प्रस्तुत कि गई हैं, जो श्रीमान के समक्ष उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितहैं।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरिकिशन सारस्वत,I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

क्रमांक /एफ ()/तक./उवसं/2023/ दिनांक / /2023

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर कि सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

RajKaj Ref
5108173

Signature valid
Digitally signed by Hari Kishan Saraswat
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.11.30 14:25:50 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

FORM 1
(For linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District collector UDAIPUR

No. F.39/1( )Rev/FRA/2023/ 684-86

Date - 24 .02.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence of having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006(FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects It has been certified that a total **area 0.1325 Hectares** of forest land is proposed to be diverted in favor of **Dinesh Engineers Limited Udaipur laying of Underground optical fiber cable for village gujro ka guda , fusariya sub division Lasadiya** District udaipur (purpose for diversion of forest land) for laying optical fiber cable in line comes under the jurisdiction **of village gujro ka guda, fusariya Lasadiya Tehsil.**

It is further certified that: -

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.1325 Hectares** of forest area proposed from the from **gram panchayat Balicha, dhikiya.**

(b) A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub-Division Level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure.

(c) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(d) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl:- As above

(Tara Chand Meena)
District Collector,
Udaipur

Copy forward to-

1. D.C.F. Udaipur/
2. S.D.M. Lasadiya.
3. Dinesh Engineers Limited.udaipur .

District Collector,
Udaipur

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

—: बैठक कार्यवाही विवरण :—

मेसर्स दिनेश ईंजिनियरिंग लिमिटेड, इन्फास्ट्रक्चर प्रोवाईडर द्वारा जिले के उपखण्ड क्षैत्र झाडोल ,गोगुन्दा ,ऋषभदेव एंव लसाडिया मे 0.1325 हे0 ,0.3645 हे0 एंव 0.6275 हेक्टयर वन भूमि में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने के संबंध में आज दिनांक 30.01.2023 को जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त उपखण्ड क्षैत्रों मे ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे अवलोकन एंव परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि के अधीन कोई व्यक्तिगत वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में वन क्षैत्र मे कोई व्यक्तिगत दावा विचाराधीन है। तदनुसार उपखण्ड गोगुन्दा, झाडोल ,ऋषभदेव एंव लसाडिया में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र सं.	कार्य का नाम	उपखण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार पत्र जारी/ दावा स्वीकृत/ विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन	गोगुन्दा	पडावलीकंला (अनसेटल्ड)	पडावली कला	—	नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा की सूची संलग्न एवं सम्बधित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक विवरण
2		झाडोल	भवरिया, 477 ,478, 479, 01 उपरेटा 4, 5, 6, 10	उपरेटा	—	नही	
3		ऋषभदेव	दामातालाब 1646, 1664, 1679, 1988/1664 जलपका 1303, 1364, 1828/910, 1808, 836 आम्बा उम्बरिया 325 ,327, 329, 366, 374 गणवन कांकण 1032, 2473	गणावन कोजावाडा	—	नही	
4		लसाडिया	गुजरो का गुडा 265/1 फूसरिया 356, 658, 609, 619	बलीचा ढिकिया	—	नही	

उप वन संरक्षक, उदयपुर

अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर

उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

जिला कलक्टर, उदयपुर

श्रीमती नवली गमेती, जिला परिषद सदस्य, उदयपुर

श्री विजयराम, जिला परिषद सदस्य, उदयपुर

(श्री पुष्कर तेली)
उप जिला प्रमुख, जिला परिषद, उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया, जिला–उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व / वअ / 2022 / 2573 दिनांक : 23.09.2022

प्रेषितिः–

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

उदयपुर।

विषयः– मैसर्स दिनेश ईंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईचर लाईन बिछनो हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– श्रीमान् के पत्र कमांक प.39 / 1( )राज. / गै.व.प्र. / 2021 / 1789 दिनांक 01.06.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश ईंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईचर लाईन बिछनो हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव तैयार कर मूल ही इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

C:\Users\Lenovo\Desktop\New Microsoft Office Word Document (4).docx002

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया, जिला–उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व/वअ/2022/2574 दिनांक : 23.09.2022

प्रमाण पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–9/98 एफसी (पिटी) दिनांक 3 अगस्त 2009, जिसमें की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता)अधिनियम 2006(एम.ओ.इ.एफ) के तहत वन अधिकार के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर, निपटान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिशा में यह प्रमाणित किया जाता है। कि उदयपुर जिले की लसाडिया तहसील के बलीचा से जूजपुरा वन भूमि सडक बनाने हेतु गैर वन के लिए प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

1. तहसील लसाडिया के ग्रामें बलीचा व ढिकीया में वन भूमि जो कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान और निस्तारण के लिए पुरी प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसके अनुसार संबधित ग्राम पंचायत बलीचा एवं ढिकीया द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया । (संलग्न ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया से प्राप्त प्रमाण पत्र)
2. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील लसाडिया की ग्राम पंचायतों में (पूर्ण परियोजना के विवरण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा में)एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता के तहत पात्र, वनवासियों से संबधित ग्राम सभा में रखा गया है तथा ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया की ग्राम सभा द्वारा भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।
3. तहसील लसाडिया से संबधित ग्राम सभा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताएॅ/प्रक्रियाओं के अपनाते हुए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से समझकर विकास और मुआवजा (यदी कोई हो) के उपाय करने एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है। एवं प्रमाणित किया है।
4. तहसील लसाडिया में ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण कोरम होने के पश्चात् विधिवत् सर्वसम्पति से निर्णय लिया जाकर सशर्त अनापत्ति दी गई है।
5. वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जरूरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओं के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है। और ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया की ग्राम सभा ने यह करने की अपनी सहमति दे दी है।
6. लागु नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया, जिला–उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व/वअ/2022/2575 दिनांक : 23.09.2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग,उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम बलीचा पंचायत बलीचा तहसील लसाडिया जिला उदयपुर में बलीचा से झुजपुरा ग्राम पंचायत बलीचा एवं ढिकीया तक अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल लाईन बिछाने का कार्य हेतु वन भूमि के संबध में आज दिनांक 20.09.2022को उपखण्ड स्तरिय समिति की बैठक आयोजित की गई हे।

उक्त सडक निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबध में ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006,2008 एवं सशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नही किया गया है।और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तद्नुसार बलीचा से झुजपुरा सडक निर्माण हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. स.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम,आराजी न0एवं वनखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि(है0)	वन अधिकार पत्र जारी/दावा स्वीकृत/विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बलीचा से झुजपुरा तक फाईबर ऑप्टिकल लाईन बिछाने बाबत	वनक्षेत्र में जा रही सड़क के 1 मीटर के दायरे में	–	बलीचा एवं ढीकिया		नही	ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामसभा दि.15.08.2022

क्षैत्रीय वन अधीकारी
रेन्ज बान्सी
(शान्ति लाल खटीक)
क्षैत्रीय वन अधिकारी
प्रथम श्रैणी–बान्सी (प्रतापगढ़)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति लसाडिया

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर

गंगाराम
(पं.स.सदस्य)

(पं.स.सदस्य)

सदस्य

C:\Users\Lenovo\Desktop\New Microsoft Office Word Document (4).docx003

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत, बलीचा

पंचायत समिति लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

प्रेषक :- सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बलीचा
पं.स.लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

सेवामें, श्रीमान् श्रीमान उपखंड अधिकारी
लसाड़िया जि. उदयपुर (राज.)

क्रमांक : प्रस्ताव 1

दिनांक :- 15/08/2022

विषय : मैसर्स दिनेश इंजीनियरिंग को अंडर ग्राउंड । ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाती और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत भूमि के प्रत्याय वतन के संबंध मे

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हमारी ग्राम पन्चायत द्वारा मैंसर्स दिनेश इंजीनियरिंग को OFC केबल डालने हेतु ग्राम सभा में नियमानुसार प्रस्ताव लिया गया है जिसमें रोड से 1 मीटर की दुरी पर रोड किनारे OFC केबल डालने का प्रस्ताव लिया गया है जिसमें बलीचा से जुजपुरा रोड की तरफ वन क्षेत्र हमारी पंचायत एरिया में किसी प्रकार का अनुसुचित जनजाती । क्षेत्र प्रभावित नही हो रहा है अतः NOC प्रदान की जाती है एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी सेवा म में प्रस्तुत है।

(श्रवण कुमार मीणा)
सरपंच
ग्राम पंचायत, बलीचा
पं.स.--लसाड़िया, जिला--उदयपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बलीचा
पं.स.--लसाड़िया, जि.--उदयपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ग्राम पंचायत, ढिंकिया

पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ढिंकिया
पं.स.लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

सत्यमेव जयते

सेवामें,
श्रीमान् श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
लसाड़िया जि. उदयपुर (राज.)

क्रमांकः- ग्रा.पं.ढिंकिया / /20 -20

दिनांक :- 15/08/022

प्रस्ताव 2021-22-/36

विषय :- मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अंडर ग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत भूमि के उत्खनन के सम्बन्ध मे

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हमारी पंचायत द्वारा मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को OFC केबल डालने हेतु ग्रामसभा में नियमानुसार प्रस्ताव लिया गया है जिसमे रोड से 1 मीटर की दुरी पर रोड किनारे OFC केबल डालने का प्रस्ताव लिया गया है। जिसमे बलीचा से जुजपुरा रोड की तरफ वन क्षेत्र हमारी पंचायत एरिया मे किसी प्रकार का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रभावित नही हो रहा है। अतः NOC प्रदान की जाती है। एवं आगिम कार्यवाही हेतु आपकी सेवा मे प्रस्तुत है।

सुरेश अहीर
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ढिंकिया
पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

(पूनम चन्द मीणा)
सरपंच
ग्राम पंचायत, ढिंकिया
पं.स.लसाड़िया (उदयपुर)

VDC
ग्रा.पं. ढिंकिया

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम सभा

दि. 15/8/2022

आज दिनांक 15/8/2022 को श्रीमान अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महो. जिला परिषद उदयपुर के पत्र क्रमांक - एफ ( ) जिपउ/ग्रामसभा/पंचायत/2021-23/624 दिनांक 8/8/2022 की अनुपालना में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र - ढिकिया पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा की कार्यवाही प्रातः 10:00 बजे प्रारम्भ की गई ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच श्री पुनमचन्द मीणा ने की ग्राम सभा में निम्न जनप्रतिनिधि/अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए
ग्राम सभा में निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिये गये

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1			
2	श्री पुनमचन्द मीणा	सरपंच	
3	उदयलाल मीणा	क. स.	
4	रामासिंह	पंचायत सहायक	
5	चकलाराम मीणा	वार्ड पंच	
6			
7			
8			

प्रस्ताव सं. 1. ग्राम सभा में सर्वप्रथम गत ग्राम सभा की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया तथा उनका अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव सं. 2 ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों को वर्तमान
उपखण्ड अधिकारी महो. लसाड़िया जिला उदयपुर के
पत्र क्रमांक - राजस्व/2022/[illegible] दिनांक 27.7.2022 को
पढ़कर सुनाया गया एवं उपस्थित नागरिकों द्वारा
बताया गया कि मैसर्स [illegible] इंजिनियरिंग को
अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु
पंचायत की चारागाह भूमि में अगर उक्त कार्य
किया जावे तो ग्रा.प. हिंगिता को कोई आपत्ति
नहीं है अत: उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा
सर्वसम्मति से लिया गया।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

सुरेश अहीर
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत छिकिया
जिला-उदयपुर (राज.)

पूनम चन्द मीणा
सरपंच
ग्रा.पं.-छिकिया
प.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर

धनराज

रमा

चकलाराम माई

रता

नानालाल

हरिराम

भगवतीलाल ओंकार

कजोड़ीमाल

देवा

Gopal

शान्तिलाल

पद्मा

देवीलाल

ओंकार

पुनीलाल

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 15.8.2022 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पलीवा पर सरपंच श्री श्रवण कुमार मीणा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

(श्रवण कुमार मीणा)
सरपंच
ग्राम पंचायत, पलीवा
प.स.-लसाड़िया, जिला-उदयपुर

उक्त ग्राम सभा कार्यालय जिला परिषद उदयपुर के पत्रांक (एफ.( ) जि.प.उ./ ग्राम सभा / पंचायत / 2022-23 / 624 / 8.8.2022 की अनुपालना में की गई जिसके अन्तर्गत ~~[illegible]~~ पशुओं में चल रही बिमारी एवं हरघर जल उत्सव मनाने सम्बन्धी ग्राम सभा में चर्चा की गई।

प्रस्ताव सं. 01 - ग्राम सभा द्वारा मेसर्स दिनेश इन्जीनियरिंग को OFC केबल डालने हेतु ग्राम सभा में निम्नानुसार प्रस्ताव लिया गया जिसके अन्तर्गत रोड से 1 मीटर की दूरी पर रोड किनारे OFC केबल डालने का प्रस्ताव सर्व सहमति से लिया गया।

प्रस्ताव सं. 2. ग्राम सभा द्वारा राज्य में चल रही पशुओं में बिमारी की रोकथाम एवं उस बिमारी के लक्षण पर चर्चा की गई एवं टीकाकरण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई

प्रस्ताव सं. 3 ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत बकाया प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत समस्त आवास लाभार्थियों को कार्य पूर्ण करने एवं शत प्रतिशत आवास पूर्ण करने के लिए ~~[illegible]~~ नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सर्व सहमति से लिया गया। जो आवास अप्रारम्भ है उन्हें नोटिस देकर कार्य शुरू कराने पर सहमति दी गई।

(श्रवण कुमार मीणा)
सरपंच
ग्राम पंचायत, पलीवा
प.स.-लसाड़िया, जिला-उदयपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

ऊंकार

गोविन्द नि. रामा नि. [illegible] नि. [illegible]रमा

वार्ड पंच

देवली लोगर

लक्ष्मा

वार्डपंच [illegible] नि. कालु

मुकेश

नारण नि. शंकर

धन्ना धरमा केशा

प्रकाश

मोहन नि. भागु

पपु

नि. शंकर नि. केसु

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार सा.
लसाडिया (उदयपुर)

विषय –: वन क्षेत्र में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु एफ. आर. ए. प्रमाण-पत्र जारी करने के क्रम में।

प्रसंग – श्रीमान के आदेश क्रमांक : राजस्व/जान/2022/596.9 दिनांक 11/5/2022 [illegible]

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अन्तर्गत पत्र मूल ही प्रति पटवारी हल्का बलीचा, सकुमाकेपा के वन क्षेत्र में जा रही सड़क के [illegible] भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से एफ. आर. ए. प्रमाण पत्र जारी [illegible] है।
अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु पेश है।

पटवारी मण्डल, [illegible]
त. लसाडिया (उदयपुर)

12/5/22 [illegible] [illegible] 1

दिनेश इन्जिनियर्स लिमिटेड

सेवामें,

15/03/2023

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

1048
15/3/23

विषयः– Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020

सन्दर्भः–राज्य सरकार का पत्रांक प.1 (85)वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि राज्य सरकार का पत्रांक प.1 (85)वन/2021 दिनांक 15.11.2021 से आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर भिजवाई जा रही है।

क.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्पा नहीं लगाया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ	एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र संलग्न कर

FCA
15/3/23

	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवर्त स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	दिया गया है।
9	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दिया गया है।
10	भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर दी गई है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार (4 प्रति में)

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

22 FEB 2023

राजस्थान

BM 537841

Affidavit

Project Name: - Division of 0.1325 ha. of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District -Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan

Proposal No.:- FP/RJ/OFC/45721/2020

Applied Area:- 0.1325 Ha

मनके आशुतोष शुक्ला शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :–

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह है कि मिकर दिनेश इन्जीनियर्स लिमिटेड का अॅटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

NOTARY Regd. No. 1077 Smt. A... JOSHI GOVT. OF RAJASTHAN

Dinesh Engineers Limited Jaipur

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाई जावेगी एवं उनके सरंक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूण्रतया सहमति है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूति की जावेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमत है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

10. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

11. उक्त बिन्दु की पालना के क्रम में वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न कर दी गई है।

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

Dinesh Engineers Limited
Jaipur

12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

13. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

Sworn before me & Admitted
The contents to be True.

(SMT. ALKA JOSHI)
Reg. No. 1077
NOTARY, Udaipur (Raj.)
11/3/23

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

FORM-1
(For linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District collector UDAIPUR

No. F.39/1( )Rev/FRA/2023/ 684-86 Date: - 24 .02.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEFissued guidelines on submission of evidence of having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006(FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It has been certified that a total **area 0.1325 Hectares** of forest land is proposed to be diverted in favor of **Dinesh Engineers Limited Udaipur laying of Underground optical fiber cable for village gujro ka guda , fusariya sub division Lasadiya** District udaipur (purpose for diversion of forest land) for laying optical fiber cable in line comes under the jurisdiction **of village gujro ka guda, fusariya Lasadiya** Tehsil.

It is further certified that: -

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.1325 Hectares** of forest area proposed from the from **gram panchayat Balicha, dhikiya.**

(b) A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub-Division Level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure.

(c) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(d) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl:- As above

(Tara Chand Meena)
District Collector,
Udaipur

Copy forward to-

1. D.C.F. Udaipur/ Pratapgarh .
2. S.D.M. Lasadiya.
3. Dinesh Engineers Limited.udaipur .

District Collector,
Udaipur

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया, जिला–उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व/वअ/2022/2573 दिनांक : 23.09.2022

प्रेषितिः–

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

उदयपुर।

विषयः– मैसर्स दिनेश ईंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईचर लाईन बिछनो हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– श्रीमान् के पत्र कमांक प.39/1( )राज./गै.व.प्र./2021/1789 दिनांक 01.06.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश ईंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईचर लाईन बिछनो हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव तैयार कर मूल ही इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)
लसाडिया जिला उदयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया, जिला–उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व/वअ/2022/2574 दिनांक : 23.09.2022

प्रमाण पत्र

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–9/98 एफसी (पिटी) दिनांक 3 अगस्त 2009, जिसमें की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.इ.एफ) द्वारा वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006(एम.ओ.इ.एफ) के तहत वन अधिकार के निपटान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर, निपटान की प्रक्रिया पूर्ण होने के साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिशा में यह प्रमाणित किया जाता है। कि उदयपुर जिले की लसाडिया तहसील के बलीचा से जूजपुरा वन भूमि सडक बनाने हेतु गैर वन के लिए प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

1. तहसील लसाडिया के ग्राम बलीचा व ढिकीया में वन भूमि जो कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। के लिए वनाधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की पहचान और निस्तारण के लिए पुरी प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसके अनुसार संबधित ग्राम पंचायत बलीचा एवं ढिकीया द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया । (संलग्न ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति एवं सरपंच ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया से प्राप्त प्रमाण पत्र)
2. उपर्युक्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तहसील लसाडिया की ग्राम पंचायतों में (पूर्ण परियोजना के विवरण और उसके प्रभाव के साथ स्थानीय भाषा में)एफ.आर.ए. की प्रासंगिकता के तहत पात्र, वनवासियों से संबधित ग्राम सभा में रखा गया है तथा ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया की ग्राम सभा द्वारा भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।
3. तहसील लसाडिया से संबधित ग्राम सभा ने प्रासंगिकता के तहत सभी औपचारिकताऍ/प्रक्रियाओं के अपनाते हुए प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से समझकर विकास और मुआवजा (यदी कोई हो) के उपाय करने एवं प्रस्तावित प्रत्यावर्तन के लिए अपनी सहमति दे दी है। एवं प्रमाणित किया है।
4. तहसील लसाडिया में ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्ण कोरम होने के पश्चात् विधिवत् सर्वसम्पति से निर्णय लिया जाकर सशर्त अनापत्ति दी गई है।
5. वनाधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत जरूरी सरकार द्वारा प्रबन्धित सुविधाओं के लिए वन भूमि का प्रत्यावर्तन हो चुका है। और ग्राम पंचायत बलीचा व ढिकीया की ग्राम सभा ने यह करने की अपनी सहमति दे दी है।
6. लागु नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लसाड़िया, जिला–उदयपुर (राज.)

E-mail : sdolasadiya012@gmail.com

क्रमांक राजस्व / वअ / 2022 / 2575 दिनांक : 23.09.2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग,उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम बलीचा पंचायत बलीचा तहसील लसाडिया जिला उदयपुर में बलीचा से झुजपुरा ग्राम पंचायत बलीचा एवं ढिकीया तक अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल लाईन बिछाने का कार्य हेतु वन भूमि के संबध में आज दिनांक 20.09.2022को उपखण्ड स्तरिय समिति की बैठक आयोजित की गई है।

उक्त सडक निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबध में ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006,2008 एवं सशोधित नियम 2012 के तहत कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावा स्वीकृत नही किया गया है।और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार बलीचा से झुजपुरा सडक निर्माण हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. स.	कार्य का नाम	लोकेशन	राजस्व ग्राम का नाम,आराजी न0एवं वनखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि(है0)	वन अधिकार पत्र जारी / दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बलीचा से झुजपुरा तक फाईबर ऑप्टिकल लाईन बिछाने बाबत	वनक्षेत्र में जा रही सड़क के 1 मीटर के दायरे में	–	बलीचा एवं ढीकिया		नही	ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामसभा दि.15.08.2022

क्षैत्रीय वन अधीकारी
रेन्ज बान्सी
(शान्ति लाल खटीक)
क्षैत्रीय वन अधिकारी
प्रथम श्रैणी–बान्सी (प्रतापगढ़)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति लसाडिया

उपखण्ड अधिकारी
लसाड़िया जिला उदयपुर

(पं.स.सदस्य)

(पं.स.सदस्य)

सदस्य

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत, बलीचा

पंचायत समिति लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

प्रेषक :- सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बलीचा
पं.स.लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

सेवामें, श्रीमान् श्रीमान उपखंड अधिकारी
लसाड़िया जि. उदयपुर (राज.)

क्रमांक : प्रस्ताव 1

दिनांक :- 15/08/2022

विषय : मैसर्स दिनेश इंजीनियरिंग को अंडर ग्राउंड । ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाती और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत भूमि के प्रत्याय वतन के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हमारी ग्राम पंचायत द्वारा मैंसर्स दिनेश इंजीनियरिंग को OFC केबल डालने हेतु ग्राम सभा में नियमानुसार प्रस्ताव लिया गया है जिसमें रोड से 1 मीटर की दुरी पर रोड किनारे OFC केबल डालने का प्रस्ताव लिया गया है जिसमें बलीचा से धुजपुरा रोड की तरफ वन क्षेत्र हमारी पंचायत एरिया में किसी प्रकार का अनुसूचित जनजाती । क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है अतः NOC प्रदान की जाती है एवम अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है ।

(श्रवण कुमार मीणा)
सरपंच
ग्राम पंचायत, बलीचा
पं.स.-लसाड़िया, जिला-उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत, ढिंकिया

पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ढिंकिया
पं.स.लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

सत्यमेव जयते

सेवामें,
श्रीमान् श्रीमान उपखंड अधिकारी
लसाड़िया जि. उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- ग्रा.पं.ढिंकिया / /20 -20 दिनांक :- 15/08/022

प्रस्ताव 2021-22-/30

विषय :- मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अंडर ग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत भूमि के प्रत्यय वतन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि हमारी पंचायत द्वारा मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को OFC केबल डालने हेतु ग्रामसभा में नियमानुसार प्रस्ताव लिया गया है जिसमें रोड से 1 मीटर की दुरी पर रोड किनारे OFC केबल डालने का प्रस्ताव लिया गया है। जिसमें बलीचा से जुजपुरा रोड की तरफ वन क्षेत्र हमारी पंचायत एरिया में किसी प्रकार का अनुसूचित जनजाति। क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है। अत: NOC प्रदान की जाती है। एवं आगामी कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
सुरेश आर्य
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ढिंकिया
पं.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर (राज.)

(हस्ताक्षर)
(पूनम चन्द मीणा)
सरपंच
ग्राम पंचायत, ढिंकिया
पं.स.लसाड़िया (उदयपुर)

(हस्ताक्षर)
पटवारी
ग्रा.पं. ढिंकिया

ग्राम सभा

दि. 15/8/2022

आज दिनांक 15/8/2022 को श्रीमान आदि. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महो. जिला परिषद उदयपुर के पत्र क्रमांक - एफ ( ) सिपटु / ग्रामसभा / पंचायत / 2021-23 / 624 दिनांक 8/8/2022 की अनुपालना में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र - टिकिया पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा की कार्यवाही प्रातः 10:00 बजे प्रारम्भ की गई ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच श्री पुनमचन्द मीणा ने की ग्राम सभा मे निम्न जनप्रतिनिधि / अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित हुए ग्राम सभा में निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिये गये

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1			
2	श्री पुनमचन्द मीणा	सरपंच	
3	उदयलाल मीणा	क.स.	
4	नाथसिंह	पंचायत सहायक	
5	चकलाराम मीणा	वार्ड पंच	
6			
7			
8			

प्रस्ताव सं. 1. ग्राम सभा में सर्वप्रथम गत ग्राम सभा की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया तथा उसका अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

प्रस्ताव सं. 2 ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों को वर्तमान उपखण्ड अधिकारी महो. लसाड़िया जिला उदयपुर के पत्र क्रमांक - राजस्व/2022/[illegible] दिनांक 27.7.2022 को पढ़कर सुनाया गया तथा उपस्थित नागरिकों द्वारा बताया गया कि मैसर्स [illegible] इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु पंचायत की चारागाह भूमि में अगर उक्त कार्य किया जावे तो ग्रा.प. हिंगिया को कोई आपत्ति नहीं है अतः उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

Scanned with CamScanner

सुरेश अहीर
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकिया
जिला-उदयपुर

पूर्ण चन्द मीणा
सरपंच
ग्रा.पं. विकिया
प.स. लसाड़िया, जिला-उदयपुर

रोमा धनराज

चन्दलाराम भाई रेखा

नाथालाल हरिराम

भगवतीलाल

कजोड़ीमल

Gopal

देवा

शान्तिलाल पदमा

देवीलाल

पुनीलाल

आज दिनांक 15.8.2022 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र रलीया पर सरपंच श्री श्रवण कुमार मीणा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

उक्त ग्राम सभा कार्यालय जिला परिषद उदयपुर के पत्रांक (एफ-1) जि.प.-3/ग्राम सभा/पंचायत/2022-23/634/9.8 2022 की अनुपालना में की गई जिसके अन्तर्गत ~~[illegible]~~ पशुओं में फैल रही बिमारी एवं हरघर तिरंगा उत्सव मनाने सम्बन्धी ग्राम सभा में चर्चा की गई।

प्रस्ताव सं. 01 - ग्राम सभा द्वारा मैसर्स रिलायंस इन्फोकॉम को OFC केबल डालने हेतु ग्राम सभा में नियमानुसार प्रस्ताव लिया गया जिसके अन्तर्गत रोड से 1 मीटर की दूरी पर रोड किनारे OFC केबल डालने का प्रस्ताव सर्व सहमति से लिया गया।

प्रस्ताव सं. 2 ग्राम सभा द्वारा राज्य में फैल रही पशुओं में बिमारी की रोकथाम एवं उस बिमारी के लक्षण पर चर्चा की गई एवं टीकाकरण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई

प्रस्ताव सं. 3 ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत समस्त लाभार्थियों को कार्य पूर्ण करने एवं शतप्रतिशत आवास पूर्ण करने के लिए एक नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सर्व सहमति से लिया गया। जो आवास अप्रारम्भ है उन्हें नोटिस देकर कार्य शुरू कराने पर सहमति दी गई।

हस्ता.
(श्रवण कुमार मीणा)
सरपंच
ग्राम पंचायत रलीया
पं.स.-लसाडिया, जिला-उदयपुर

ऊंकार

गोविन्द

नि. राधा

नि.

नि.

वार्ड पंच

देवली

सोनार

लता

वार्ड पंच

नि. कालु

मुकेश

नारण

नि. शंकर

धन्ना

धरमा

केशा

प्रकाश

मोहन

नि. भागु

पपु

नि. शंकर

नि. कजु

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार सा.

[illegible] ([illegible])

विषय — ग्राम क्षेत्र में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

प्रसंग — श्रीमान के आदेश क्रमांक : राजस्व/कानून/[illegible]/5969 दिनांक 11/5/[illegible] के क्रम में

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत [illegible] पटवारी हल्का [illegible] के अन्तर्गत [illegible] जा रही [illegible] केबल बिछाने की एफ.आर.ए. प्रमाण [illegible] [illegible]

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है।

[illegible]

पटवार मण्डल, [illegible]

[illegible] लसाडिया / [illegible]

क्रमांक:– FP/RJ/OFC/45721/2020 दिनांक: 14/3/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 का वचन बद्दता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना मे वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

C.S.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:– FP/RJ/OFC/45721/2020 दिनांक:– 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262= 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन / 2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना मे प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

C.S.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:– FP/RJ/OFC/45721/2020 दिनांक:–

क्रमांक– FP/RJ/OFC/45721/2020 दिनांक– 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन / 2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना मे याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एव जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय
Ashukla
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

C.S.
सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक– FP/RJ/OFC/45721/2020 दिनांक– 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

C.S.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:– FP/RJ/OFC/45721/2020 दिनांक:– 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनाक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

C.S.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/45721/2020 दिनांक:- 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

C.F.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांकः– FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनाकः– 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–7 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना मे यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

C.S.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांकः– FP/RJ/OFC/45721/2020

दिनांकः– 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–8 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना मे प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited
Dinesh Engineers Limited Jaipur

(उ.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक– FP/RJ/OFC/45721/2020 दिनांक– 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–9 का वचन बद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (9) की अनुपालना मे राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

C.S.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/45721/2020 दिनांक:- 14/03/2023

Project Name:- Diversion of 0.1325 ha. Of forst land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the within the existing ROw from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri-Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan
Proposal No:- FP/RJ/OFC/45721/2020
Applied Area:- 0.1325 Ha

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (85) वन/2021 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एव जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

C.S.

सुनील कुमार (भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़ (राज.)

Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Dinesh Engineers Limited Jaipur

क बैग में रखकर ले गया
रिकॉर्ड में आने के बाद
क करेगी। पड़ताल की
से होता है।

स ने तीनों आरोपियों की जमानत
र्जी को खारिज कर दिया।

यह था मामला : परिवादी नीरज
र्या ने शिकायत में बताया था कि
ने वर्ष 2007 में भुवाणा क्षेत्र में
हजार वर्ग फीट का भूखंड खरीदा
। इसके एक हिस्से को उसके भाई
लेश ने अपनी पत्नी लवलीना को
ट कर दिया। वर्ष 2019 में नीलेश
मृत्यु हो गई इसके बाद लवलीना
भूखंड को बेचने का दबाव बनाने
ी। उसे बताया गया कि 5 करोड़
ए में भूखंड का बेचान करना है।
गया। परिवाद में बताया कि सुखेर थाने में दर्ज मामले को लेकर सब इंस्पेक्टर रोशनलाल ने परिवादी को आरपीएस जितेंद्र आंचलिया से मिलने के लिए कहा। आंचलिया ने परिवादी नीरज को गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज होने का हवाला देते हुए डराया। आंचलिया ने दबाव अपनी ही जमीन खरीदने के लिए परिवादी को 1 करोड़ 83 लाख रुपए चुकाने पड़े थे। रुपए देने के बाद यह तय हुआ था कि मामले में एफआर लगा दी जाएगी, लेकिन एफआर लगाने के लिए सब इंस्पेक्टर रोशनलाल ने 2 लाख रुपए की मांग कर दी थी।

गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत

ब्यूरो नवज्योति/उदयपुर। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में पानी के गड्ढे में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार नवरत्न कॉम्पलेक्स में एक कॉम्पलेक्स का काम चल रहा है। यहां पर पानी का एक गड्ढा बना रखा है। जिसमें डूबने से डेढ़ साल की शिवानी पुत्री हरसिंह भील निवासी धरड़ी धार एमपी गिर गई, जिससे वह डूब गई। इस पर वहां खेल रहे बच्चे चिल्लाने लगे तो परिजन भाग कर आए और बच्ची को बाहर निकालकर चिकित्सालय लेकर गएए जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पार्किंग को
ा इंतजार

हर के प्रमुख सूरजपोल चौराहा
रुपए की लागत से बनकर तैयार
घाटन का इंतजार है। जानकारी
या वाहन के लिए प्रति घंटा 20
00 रुपए और मासिक किराया
मल्टीस्टोरी पार्किंग में एक साथ
ी क्षमता है।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (85) वन / 2021 जयपुर दिनांक : 15.11.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan (FP/RJ/OFC/45721/2020).

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (408/37) 2020/ एफसीए/ प्रमुवस/ 2811 दिनांक 04.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Dinesh Engineers Ltd (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा -2 में OFC Cable Line हेतु 0.1325 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri Tekan Road) District – Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 7. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 8. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।** 9. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 10. भारत सरकार के पत्रांक 7 - 23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय - (बी प्रवीण) शासन सचिव

DNU 277298

Shree Cement

श्री सीमेन्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बांगड़ नगर, ब्यावर 305 901, जिला-अजमेर (राज.)

फोन: EPABX +91-1462-228101-6 | **फैक्स:** +91-1462-228117/119 | **ईमेल:** shreebwr@shreecement.com

वेब साईट: www.shreecement.com | CIN: L26943RJ1979PLC001935

नोटिस

म्पनी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा 110 प्रावधानों के अनुसार, पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग येत्व और प्रकटसीकरण की आवश्यकता विनियम) 2015 के विनियम 44 के अनुसार मौजूदा वैधानिक संशोधनो या पुनः धिविनियम के अधीन औंर अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, कम्पनी विशेष व्यवसाय के सबंध में जो कि डाक मत-पत्र टिस दिनांक 4 मार्च, 2023 जिसके द्वारा सदस्यों की सहमति विशेष प्रस्ताव द्वारा मांगी जा रही है जिसमें इलैक्ट्रोनिक माध्यम मिल है। (रिमोट ई-वोटिंग)

म्पनी ने शुक्रवार, 10 मार्च, 2023 को पोस्टल बैलेट नोटिस के साथ पोस्टल बैलेट फार्म को कम्पनी के उन सभी सदस्यो को जिनका म सदस्यों के रजिस्टर / डिपॉजिटरी के रिकार्ड में शुक्रवार, 3 मार्च, 2023 (कट आफॅ डेट) को दर्ज है:-

को इलेक्ट्रोनिक माध्यम के जरिये भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत है (अन्यथा जिन्होने भौतिक प्रति के लिए अनुरोध नही किया है), और

को भौतिक माध्यम से प्री-पेड सेल्फ एड्रेस लिफाफे के साथ उनके द्वारा पंजीकृत पते पर भेज दिया गया है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नही है, तथा जिन्होने भौतिक प्रतिलिपियों के लिए अनुरोध किया है।

क मत-पत्र का उक्त नोटिस कम्पनी की वेब साईट www.shreecement.com और लिंक इनटाईम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ('लिंक टाईम') की वेब साइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को डाक मत-पत्र नहीं मिला है,

BANK LTD.
omplex, Bandra (E), Mumbai- 400 051
4th K G Marg, New Delhi-110001

**ND RECONSTRUCTION OF
' INTEREST ACT, 2002**

uarantor, who have availed loan g its branch office at 7th Floor, repay the loan facility wide EMI t their loan accounts has been ia. The Borrowers have provided are described herein below. The orrowers to KMBL as on date are

eral are hereby informed that the or has initiated action against the ions of the Securitization and erest Act, 2002 (the SARFAESI cated against their names within more of the powers conferred on AESI Act, including power to take eral is advised not to deal with

**s of secured asset
novable Property)**

Parcel of the Property Bearing 218 JAGANNATH PURI, IPUR, RAJASTHAN – 302012. a 222.95 Sq. Meter("266.66 Sq. es :-East:- Plot No. 217, West:- h :- Road 30"feet Wide, South :-)

**an Account No.,
Notice Date & Amount**

No. LAP 17837023 , **Demand**)2/2023, **Outstanding Amount**: /- as on 22-02-2023

Bank Ltd., Authorised Officer

भूमि

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (85) वन / 2021 — जयपुर दिनांक : 15.11.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District - Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan (FP/RJ/OFC/45721/2020).

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (408/37) 2020/ एफसीए/ प्रमुवस/ 2811 दिनांक 04.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Dinesh Engineers Ltd (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा -2 में OFC Cable Line हेतु 0.1325 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri Tekan Road) District – Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 7. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 8. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर. ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।** 9. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 10. भारत सरकार के पत्रांक 7 - 23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय - (बी प्रवीण) शासन सचिव

RBL BANK LIMITED

Registered Office: 1st Lane, Shahpuri, Kolhapur-416001
Regional Office: Office Number # 8,9,10, Ground Floor, Silver Square Mall, Bhagwan Das Road, Near Raj Mandir Cinema, C - Scheme, Jaipur-302001

SALE NOTICE (UNDER SARFAESI ACT, 2002)

SET CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND RFAESI ACT") READ WITH RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("RULES")

particular to the Borrower, Guarantor (s) and Mortgagor (s) that the below described immovable properties to RBL Bank Ltd. (**"Secured Creditor/Bank"**), the physical possession of which has been taken by the Authorised the SARFAESI Act read with the Rules, as detailed hereunder, will be sold on **"As is where is"**, **"As is what is"**, r recovery of the Bank's outstanding dues plus interest as detailed hereunder under Rules 8 and 9 of the Rules by

Description of Parties, Outstanding dues and Property

Amount as per Demand Notice / Date of Demand Possession Notice nder SARFAESI Act	Reserve Price / EMD / Bid Increase Amount	Date/ Time of e-Auction	Last Date for Receipt of Bids along with documents	Name of Authorised Officer/ Phone No./ Email Id
22,26,309.04/- (Rupees ty Two Lacs Twenty Six sand Three Hundred Nine Paisa Four Only) as on .2022 against Demand e dated 26.05.2022 **of Possession Notice- 3-2022**	**Reserve Price:** **Rs. 16,33,361/-** (Rupees Sixteen Lakh thirty three thousand Three Hundred Sixty One Only) **EMD Amount:** **Rs. 1,63,336/-** (Rupees One Lakh Sixty Three Thousand Three Hundred Thirty Six Only) **Bid Increase Amount:** **Rs. 50,000/-** (Rupees Fifty Thousand Only)	**18.04.2023 10:30 A.M to 11:30 A.M** **Inspection Date 24-03-2023**	**On or Before 17.04.2023 up to 05:00 P.M.**	**Mrs. Monica Gupta** **Contact: 9910570226** **Email Id: monica.Gupta@rblbank.com** **Samirendu patra** **Contact: 8280268950** **Email id: Samirendu.patra@rblbank.com**

l. The interested bidders are advised to go through the detailed terms and conditions of auction available on the website of **om/pdf-pages/news** before submitting their bids and taking part in e-auction.
satisfy themselves about the Property and specification before submitting the bid.
uments through Web Portal: **https://www.bankeauctions.com** (the user ID & Password can be obtained free of cost by rough Login ID & Password. The amount shall be payable through NEFT/ RTGS in the following Account of **RBL BANK 000139998 (IFSC Code RATN0000100), before 05:00 PM on or before 17.04.2023.**
n E-Auction from **M/s. C1 India Pvt Ltd** Contact No: 7291981124/25/26. Contact Person Mr. Vinod Chauhan Mob No: ery in relation to Property, they may contact **Mrs. Monica Gupta, Authorised Officer (Mob. No. 9910570226 email: -8280268950)**